B.Ed – 1st Year **Nakul Sah**

Gender, School and Society **Assistant Professor**

Course- 6

Lecture – 19

Gender differences
लिंग विभेदीकरण

प्राचीनकाल में स्त्रियों की सामाजिक दशा बहुत अच्छी थी। उस समय स्त्रियाँ न केवल शिक्षा की दृष्टि से बल्कि कला कौशल और युद्ध विद्या की दृष्टि से पुरूषों के समकक्ष थी। वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों में जहां अनेक पुरूष है वहां कई स्त्रियाँ भी है। वेदों में स्त्री–ऋषियों के सूत्रों का संग्रह होना स्त्रियों की पुरूषों के साथ समानता का सूचक है। वैदिककाल के पश्चात उपनिषद् काल में भी गार्गी और मैत्रयी इत्यादि स्त्रियाँ ब्रह्मा विद्या मे पारंगत थी और उनका ज्ञान याज्ञवल्क्रय और जनक जैसे ब्रह्मविदों के समान समझा जाता था। जहां तक कि अनेक बडे–बड़े विद्वानो को उन्होनें शास्त्रार्थ में परास्त भी किया था। वाल्मीकी रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि स्त्रियाँ ऋषियों के आश्रम में रहकर पुरूषों के साथ–साथ शस्त्र विद्या में निपुण होन के प्रमाण भी है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते है। परम्परागत भारतीय नारी का वर्णन करते हुए डॉ. राधाकृष्णन ने लिखा है कि शताब्दिये चली आ रही है परम्पराओं ने भारतीय नारी को विश्व की सर्वाधिक निःस्वार्थी, सर्वाधिक आत्मत्यागी तथा धैर्यवान नारी बना दिया है, कष्ट उठाना ही जिसका आत्म गौरव है।

स्त्रियों के अधिकार के सैद्धांतिक पक्ष :–

ईश्वर की कृति के रूप में स्त्री और पुरूष दोनों ही मानव की श्रेणी में आते है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 जुलाई 1779 स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा था कि ''हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से समान है, सभी मनुष्यों को ईश्वर ने कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किये है जिन्हें छीना नहीं जा सकता और इन अधिकारों में जीव स्वतंत्रता तथा अपनी समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहने का अधिकार भी सम्मिलित है।''

संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर :–

इस सबंध मे निम्नलिखित उपबंध है :– चार्टर की पसताव मे ''मानव के मौलिक अधिकारो मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व मे पुरूष तथा स्त्रियो के समान अधिकारो में विश्वास व्यक्त किया गया है।

अनुच्छेद–1 ''मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा जाति लिगं, भाषा, धर्म के बिना किसी भेदभाव के मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करना।

अनुच्छेद–13 ''जाति लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानवधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता देना'' की व्यवस्था है।
अनुच्छेद–55 ''सयुक्त राष्ट्रसंघ'' जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए माव अधिकारो ंतथा मौलिक स्वतंत्रताओं को बढवा़ देगा। चार्टर मे ंसंयुक्त राष्ट्रसंघ को मानव अधिकारो ंके संबंध मे ंकेवल प्रोत्साहन देने का अधिकार है। कोई कार्यवाही करने का नहीं है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारो ंकी सार्वभौमिक के अधिकारो ंसे संबंधित कुछ प्रावधान है।
अनुच्छेद 2 ''प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति रंग लिगं, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा सामाजिक उत्पत्ति अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव के इस घोषणा मे ंव्यक्त किये हुए सभी अधिकारो ंऔर स्वतंत्रताओ का पात्र है।
अनुच्छेद 3– प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है।
अनुच्छेद 5 ''किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानुषिक दण्ड नहीं दिया जाएगा''।
अनुच्छेद 7– कानून के सामने सभी समा है किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकार है।
अनुच्छेद 26(1) ''प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, जो कम से कम प्रांरभिक मौलिक अवस्था में निःशुल्क होगी।

महिलाओ ंकी प्रस्थिति पर आयोग :–

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 1946 मे ंयह योग स्थापित किया गया। सम्पूर्ण विश्व में महिलाओ ंकी समानता की दिशा मे ंकी गई प्रगति की जांच एवं राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों मे ंस्त्रियो ंके अधिकारो ंको बढ़ाने के लिए सिफारिशें करता है

महिलाओ ंहेतु संयुक्त राष्ट्र विकास निधि :–

यह एक स्वैच्छिक निधि है जो महिलाओ ंके अधिकारो, उनके आर्थिक तथा राजनीतिक सबलीकरण और लैंगिक, समान को प्रोत्साहित करने वाले नये ढंग से कार्यक्रमो का ंतकनीकी सहायता देता है यह महिलाओ ं हेतु भी प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करती है

- शासन, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया मे ंमहिलाओ ंकी भागीदारी बढ़ाना।
- विकास को अधिक समानतार्पूा बनाने के लिए महिलाओ ंके अधिकारो ंको बढ़ावा देना।
- उद्यमियो ंतथा उत्पादको ंके रूप में महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूत बनाना।

To be continued ……..